भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3095
19 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

पीएमजीकेएवाई के अन्तर्गत खाद्यान्न की पोषण गुणवत्ता

3095. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित खाद्यान्न की कुल मात्रा (पीएमजीकेएवाई) की शुरुआत से लेकर अब तक राज्यवार स्थिति क्या है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने लाभार्थियों को शामिल किया गया तथा योजना के पात्रता मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या किसी अध्ययन ने खाद्य सुरक्षा और पोषण पर पीएमजीकेएवाई के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या रहे;

(घ) वितरित भोजन की पोषण संबंधी पर्याप्तता निर्धारित करने की सरकार की पद्धति क्या है;

(ड.) क्या किसी रिपोर्ट में आपूर्ति किये गये खाद्यान्न के पोषण मूल्य का मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या रहे;

(च) आहार संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार बुनियादी पोषण से वंचित लाभार्थियों का प्रतिशत कितना है;

(छ) पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत भोजन की पोषण गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ज) क्या सरकार खाद्य पदार्थों में विविधता लाकर उनमें प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत वर्ष 2023 से 2025 तक वितरित खाद्यान्न का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

...2/-

(ख): वर्तमान में, 81.35 करोड़ व्यक्तियों की अभीष्ट कवरेज की तुलना में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने केवल 80.56 करोड़ व्यक्तियों की पहचान की है। पीएमजीकेएवाई का प्रचालन केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। संघ और राज्यों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत, लाभार्थियों की पहचान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है। इस अधिनियम के तहत लाभार्थियों की पहचान दो श्रेणियों में की जाती है- अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत कवर किए गए परिवार जो केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा के अनुसार सबसे गरीब हैं और शेष परिवार बतौर प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) हैं, जिनकी पहचान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज के भीतर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा उनके द्वारा विकसित मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(ग) से (छ): 6 माह से 3 वर्ष की आयु समूह के बच्चों, 3 से 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण मानकों को एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अनुसार टेक होम राशन (राशन घर ले जाएं) या पौष्टिक गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करके पूरा किया जाना आवश्यक है और निम्न एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए पोषण मानकों को पीएम पोषण स्कीम के तहत भोजन प्रदान करके पूरा किया जाना आवश्यक है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट किया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कर रही है। इस पहल का उद्देश्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, विशेष रूप से एनीमिया से निपटने के लिए आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी-12 जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराना है। इस पहल को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया और मार्च 2024 तक सरकार की प्रत्येक स्कीम में सभी कस्टम-मिल्ड चावल को फोर्टिफाइड चावल से बदल दिया गया है। मंत्रिमंडल ने इस पहल को दिसंबर 2028 तक केंद्रीय क्षेत्र की पहल (पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित) के रूप में जारी रखने की मंजूरी अक्तूबर 2024 में दी।

(ज): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत, "खाद्यान्न" शब्द को चावल, गेहूं या मोटे अनाज (बाजरा सहित) या उनके किसी भी संयोजन, जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा आदेश द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप हो, के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्तमान में, एनएफएसए के तहत अन्य जिन्सों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 19.03.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3095 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत वर्ष 2023 से 2025 तक वितरित खाद्यान्न का विवरण।

वर्षवार पीएमजीकेएवाई वितरण डाटा (मात्रा टन में)				
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2023**	**2024**	**2025 (फरवरी 2025 तक)**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4,231	4,236	708
2	आंध्र प्रदेश	17,37,063	17,42,767	2,93,254
3	अरुणाचल प्रदेश	50,190	51,783	3,717
4	असम	11,99,564	14,90,491	2,63,237
5	बिहार	52,14,677	50,28,598	8,20,199
6	छत्तीसगढ	13,38,063	13,41,737	2,23,132
7	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	15,881	16,810	2,922
8	दिल्ली	4,73,472	5,28,397	92,701
9	गोवा	29,690	29,193	4,875
10	गुजरात	21,35,677	21,91,020	3,71,640
11	हरियाणा	7,69,482	10,46,118	1,86,555
12	हिमाचल प्रदेश	1,97,555	1,80,683	26,839
13	जम्मू और कश्मीर	4,18,920	4,25,088	77,682
14	झारखंड	16,25,601	16,36,927	2,74,242
15	कर्नाटक	24,93,936	24,97,515	4,17,588
16	केरल	9,79,657	9,96,834	1,59,701
17	लद्दाख	7,803	7,752	1,286
18	लक्षद्वीप	611	1,324	222
19	मध्य प्रदेश	32,06,221	33,46,949	5,69,194
20	महाराष्ट्र	40,21,960	41,75,930	7,05,241
21	मणिपुर	27,919	-	-
22	मेघालय	1,24,324	1,26,222	19,075
23	मिजोरम	46,379	46,687	4,002
24	नागालैंड	71,297	72,084	11,255
25	ओडिशा	22,18,710	22,23,767	3,67,428
26	पंजाब	6,37,593	8,77,366	1,29,861
27	राजस्थान	26,07,589	25,65,551	4,07,810
28	सिक्किम	17,577	19,770	3,046
29	तमिलनाडु	23,70,942	23,39,331	3,86,798
30	तेलंगाना	12,07,709	12,25,778	2,06,099
31	त्रिपुरा	1,60,174	1,61,241	26,769
32	उत्तार प्रदेश	94,48,792	94,23,899	15,71,661
33	उत्तराखंड	3,26,298	3,70,387	63,541
34	पश्चिम बंगाल	38,50,869	38,79,660	6,45,444
	सकल योग	**4,90,36,431**	**5,00,71,894**	**83,37,723**
*** चंडीगढ़ और पुददुचेरी डीबीटी हैं और मणिपुर ने मई 2023 से वितरण डाटा की सूचना नहीं दी है**				

*****